JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन और चुनौतियाँ – एक अवलोकन

धर्मेन्द्र कुमार
शोध छात्र, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ति.मां भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन उपलब्ध कराना है। 2016 में शुरू की गई इस योजना से कई लाभ हुए हैं, जिनमें बेहतर स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा, आर्थिक बचत और सरकारी सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि शामिल है। पारंपरिक ईंधन के स्थान पर स्वच्छ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उपयोग करके, पीएमयूवाई ने इनडोर वायु प्रदूषण को काफी कम कर दिया है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों में गिरावट आई है। इस योजना ने उत्पादक गतिविधियों के लिए अपना समय बचत करके और लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाया है। इसके अतिरिक्त, इसने वनों की कटाई पर अंकुश लगाकर और हानिकारक उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है। पीएमयूवाई ने परिवारों को आर्थिक बचत प्रदान की है और खाना बनाने के तरीकों में सुविधा और सुरक्षा बढ़ाई है। इसके अलावा, इसने लाभार्थियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। इस आलेख का उद्देश्य प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अवलोकन करना तथा योजना के लाभ, प्रभाव और उपलब्धियाँ, कार्यान्वयन और कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ तथा इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डालना है।

मुख्य शब्दः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), महिला सशक्तिकरण, एलपीजी कनेक्शन, बीपीएल, भारत सरकार।

परिचय

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो 1 मई, 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत, बीपीएल परिवारों को 2019 तक 1600 रू. प्रति कनेक्शन के लिए बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया। इसके लिए सरकार द्वारा 8000 करोड़ रूपये का बचत जारी किया गया। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, कनेक्शन घरों की महिलाओं के नाम पर जारी किए जाते हैं। सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए बीपीएल परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। तालिका 1 में जारी घरेलू ग्राहक कनेक्शन की कुल संख्या तथा तालिका 2 में सामान्य कनेक्शन बनाम पीएमयूवाई कनेक्शन दर्शाया गया है।

तालिका 1 : जारी घरेलू ग्राहक कनेक्शन की कुल संख्या (करोड़ में)

वर्ष	सामान्य कनेक्शन	पीएमयूवाई कनेक्शन	कनेक्शन की कुल संख्या	% लोगों तक पहुंच
2015	0.00	14.80	14.8	56.2
2016	1.02	15.61	16.63	61.9
2017	2.07	17.81	19.88	72.8
2018	3.53	18.90	22.43	80.9
2019	7.12	19.42	26.54	94.3

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के परिणामस्वरूप लगभग 1 लाख का अतिरिक्त रोजगार संभव हो सकता है और है। भारतीय उद्योग के लिए 2019 तक कम से कम 10,000 करोड़ रूपये का व्यावसायिक अवसर प्रदान करने की संभावना व्यक्त की गई थी। इस योजना के लॉन्च से ''मेक इन इंडिया'' अभियान को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सिलेंडर, गैस स्टोव, नियामकों और गैस नली के सभी निर्माता घरेलू हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्राप्त करने के लिए पात्रता निम्नवत् है :

- 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलायें जिसे पूर्व से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है और गरीबी रेखा के नीचे की है, एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के लिए कुछ विवरण जैसे कि पता, खाता संख्या, बीपीएल कार्ड या आधार कार्ड शामिल हैं।
- बीपीएल स्थिति के तहत पात्रता एलपीजी फील्ड ऑफिसर द्वारा एसईसीसी–2011 डेटाबेस के तहत जांच की जाती है।
- पात्रता तेल विपणन कंपनियां जारी करने के बाद पात्र लाभार्थियों के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी करते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन उपलब्ध कराकर पारंपरिक रूप से खाना पकाने के तरीकों जैसे लकड़ी, कोयला और मिट्टी के तेल को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर से बदलना है। ताकि पारंपरिक रूप से खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाले इनडोर वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करके महिलाओं, बच्चों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हो सके।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मुख्य विशेषताएं:

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना योजना की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं है:

लाभार्थियों की पहचान: यह योजना सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के आधार पर पात्र लाभार्थियों की पहचान करती है। एलपीजी कनेक्शन तक पहुंच से वंचित परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय सहायता: सरकार पात्र लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सहायता में सुरक्षा जमा राशि, दबाव नियामक की लागत और स्थापना शुल्क शामिल हैं।

सब्सिडी और ऋण सुविधाएं: पीएमयूवाई लाभार्थी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से एलपीजी रिफिल पर सब्सिडी प्राप्त करने के भी पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमयूवाई ऋण योजना के तहत, लाभार्थी स्टोव की खरीद और एलपीजी सिलेंडर की रिफिल के लिए ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

जागरूकता और सुरक्षा उपाय: यह योजना लाभार्थियों के बीच स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के लाभों और एलपीजी के उपयोग से संबंधित सुरक्षा प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर देती है। लाभार्थियों को एक सुरक्षा निर्देश पुस्तिका भी प्रदान की जाती है।

लाभ, प्रभाव और उपलब्धियाँ

अपनी स्थापना के बाद से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके कुछ प्रमुख लाभ और प्रभाव निम्नलिखित हैं:

लाभार्थियों की संख्या: सितंबर 2021 तक, पीएमयूवाई के तहत 93 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण: पीएमयूवाई ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन के साथ, महिलाओं को अब लकड़ी इकट्ठा करने या पारंपरिक ईंधन के साथ खाना बनाने में घंटों बिताने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे वे अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए अपना समय निकाल पा सकते हैं। इससे कौशल विकास, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी के अवसर बढ़े हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है।

बेहतर स्वास्थ्य: पीएमयूवाई ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लकड़ी, कोयला और मिट्टी के तेल जैसे पारंपरिक खाना बनाने के ईंधन के स्थान पर स्वच्छ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उपयोग करने से घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी आई है, जो श्वसन संबंधी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच के परिणामस्वरूप श्वसन संबंधी बीमारियों, आंखों की समस्याओं और धुएं और हानिकारक प्रदूषकों के कारण होने वाली अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई है।

पर्यावरण संरक्षण: पीएमयूवाई के तहत स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी के उपयोग ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है। जलाऊ लकड़ी, कोयला और अन्य बायोमास ईंधन की मांग को कम करके, इस योजना ने वनों की कटाई को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद की है। इससे हानिकारक उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आई है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन शमन की दिशा में देश के प्रयासों में योगदान मिला है।

सुरक्षा और सुविधा: खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी पारंपरिक ईंधन की तुलना में कई सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। यह खुली आग और पारंपरिक स्टोव के उपयोग से जुड़ी दुर्घटनाओं, जलने और श्वसन संबंधी बीमारियों के जोखिम को समाप्त करता है। एलपीजी तत्काल प्रज्वलन, सटीक लौ नियंत्रण और तेज़ खाना पकाने के समय की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे यह खाना पकाने का एक सुरक्षित और अधिक कुशल विकल्प बन जाता है।

आर्थिक बचतः पीएमयूवाई लाभार्थी परिवारों के लिए आर्थिक बचत लेकर आया है। प्रारंभिक एलपीजी कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता और रिफिल पर सब्सिडी प्रदान करके, इस योजना ने लाभार्थियों के लिए खाना बनाने के ईंधन के कुल खर्च को कम कर दिया है। इससे उन्हें पैसे बचाने में मदद मिली है जो अन्यथा जलाऊ लकड़ी, कोयला, या मिट्टी का तेल खरीदने पर खर्च किया जाता था, जिससे वे अपने संसाधनों को अन्य आवश्यक जरूरतों या निवेशों के लिए आवंटित करने में सक्षम होते हैं।

समय और प्रयास में कमीः स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन के उपयोग ने लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण समय और प्रयास की बचत की है। एलपीजी के साथ, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने या पारंपरिक ईंधन के जलने की प्रतीक्षा करने में लगने वाला समय समाप्त हो जाता है। इस समय का उपयोग अधिक उत्पादक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जैसे आय–सृजन वाले कार्यों में संलग्न होना, बच्चों की देखभाल करना या शिक्षा प्राप्त करना।

सरकारी योजनाओं तक पहुंचः पीएमयूवाई ने लाभार्थियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच के प्रवेश द्वार के रूप में काम किया है। पीएमयूवाई के तहत प्रदान किया गया एलपीजी कनेक्शन पहचान और निवास के एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने स्वास्थ्य में सुधार, महिलाओं को सशक्त बनाने, पर्यावरण के संरक्षण और समग्र कल्याण को बढ़ाकर लाभार्थियों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। यह आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन उपलब्ध कराने, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।

2. कार्यान्वयन

भारत सरकार ने इस योजना को दे"ा के विभिन्न राज्यों में पर्याप्त कवरेज हासिल की है। तालिका 2 में कुछ प्रमुख राज्यों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) कनेक्शन कवरेज को द"ार्या गया है।

तालिका 2 : प्रमुख राज्यों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) कनेक्शन कवरेज

राज्य	पीएमयूवाई कनेक्शन की संख्या (लाख में)	% एलपीजी कवरेज
उत्तर प्रदेश	130	98.2
पश्चिम बंगाल	80.6	93.9
बिहार	78	71.9
मध्य प्रदेश	64.4	81
राजस्थान	60	100
ओडिशा	42	74.2
महाराष्ट्र	40.6	100
तमिलनाडु	31.4	99.4
कर्नाटक	28.2	103

सितंबर 2021 तक, पीएमयूवाई योजना के तहत 93 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार)। योजना के तहत सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के आधार पर पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाती है। एलपीजी कनेक्शन के लिए पहुंच से वंचित घरों को प्राथमिकता दी जाती है। पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से एलपीजी रिफिल पर सब्सिडी मिलती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। साथ ही पीएमयूवाई ने पात्र लाभार्थियों को सुरक्षा जमा, दबाव नियामक और स्थापना शुल्क सहित एलपीजी कनेक्शन की लागत को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। वित्तीय सहायता आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन को किफायती बनाने में मदद करती है। पीएमयूवाई कार्यान्वयन में स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन और एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के लाभों के बारे में लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान कार्यक्रम शामिल हैं। लाभार्थियों को एक सुरक्षा निर्देश पुस्तिका प्रदान की जाती है। इन अभियानों में लक्षित आबादी तक पहुंचने के लिए सामुदायिक गतिशीलता, घर–घर जाकर बातचीत और जनसंचार माध्यमों का उपयोग शामिल है।

3 तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL और HPCL) को उनके वितरकों के माध्यम से डेटा तक पहुंचा दी जाती है। वितरकों को डेटा डाउनलोड करना, डेटा को वर्गीकृत करना और लाभार्थियों के गाँव–गाँव तक पहुंच सुनि"चित करना होता है। केवल महिला लाभार्थी को कनेक्शन जारी किया जाता है। अपने कार्य बल के साथ वितरक को केवाईसी फॉर्म एकत्र करना होता है। प्रत्येक लाभार्थी को एक टिन नंबर प्रदान किया जाता है जो अद्वितीय है। सिस्टम एक डी–डुप्लिकेशन प्रक्रिया करता है और कनेक्शन जारी करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्राहक के पास ऋण के साथ या बिना ऋण के चयन करने का एक विकल्प मौजूद होता है।

कनेक्शन को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, स्टोव या हॉटप्लेट, सुरक्षा नली के साथ–साथ एक DGCC बुक और एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड जारी किया जा सकता है। महिला लाभार्थी के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और बीपीएल कार्ड होना चाहिए। इस प्रकार दस्तावेज़ तैयार करने के बाद, वितरक का अधिकृत मैकेनिक ग्राहक परिसर में कनेक्शन स्थापित करता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) भारत में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने में एक परिवर्तनकारी पहल रही है। हालाँकि, योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पीएमयूवाई के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डाला गया है।

उपयुक्त लाभार्थियों की पहचानः पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों में से एक उपयुक्त पात्र लाभार्थियों की सटीक पहचान है। चयन प्रक्रिया सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 डेटा पर निर्भर करती है, जो अद्यतन नहीं हो सकती है या सभी योग्य परिवारों को शामिल नहीं कर सकती है। इससे कुछ जरूरतमंद परिवारों के योजना का लाभ लेने से वंचित होने को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों का दुरुपयोगः यह स्थापित किया गया है कि एसईसीसी–2011 के डेटा में कुछ समृद्ध घरेलू बीपीएल घरों में थे, इस प्रकार एसईसीसी–2011 डेटाबेस में प्रत्येक डेटा की प्रामाणिकता की जांच करना एक बड़ी चुनौती है।

लाभार्थियों के बीच सुरक्षा जागरूकताः एलपीजी स्टोव पर खाना पकाने के लिए सुरक्षा आवश्यकता के बारे में जागरूकता की कमी के कारण सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

दस्तावेजों की अनुपलब्धताः अधिकांश जरूरतमंद लोगों के पास राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है।

जागरूकता और लोगों तक पहुंचः स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन और पीएमयूवाई योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। कई घरों में, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में, योजना और इसके प्रावधानों के बारे में जागरूकता का अभाव है। इन घरों तक पहुंचने और उन्हें योजना के बारे में शिक्षित करने के प्रयास आवश्यक हैं, लेकिन लक्षित आबादी के विशाल भौगोलिक विस्तार के कारण चुनौतीपूर्ण हैं।

एलपोजी रिफिल की सामर्थ्यः जबकि पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बाद के रिफिल की सामर्थ्य कई परिवारों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। एलपीजी रिफिल की लागत और इससे जुड़ा वित्तीय बोझ अक्सर स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन के नियमित उपयोग को हतोत्साहित करता है, जिससे कुछ परिवार पारंपरिक ईंधन पर वापस लौट आते हैं।

एलपीजी अवसंरचना की उपलब्धताः वितरक नेटवर्क और रिफिल केंद्रों जैसे एलपीजी वितरण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पहुंच ने दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण लाभार्थियों के लिए समय पर रिफिल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, जिससे स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन के निरंतर उपयोग पर असर पड़ता है।

एलपीजी वितरकों की सीमित पहुंचः अधिकांश क्षेत्रों में, एलपीजी वितरकों की अनुपलब्धता के कारण अभी भी लोग उज्ज्वला योजना के लाभ से अलग हो जाते हैं।

उज्ज्वला योजना 2.0

पीएमयूवाई योजना को लॉन्च करते समय सेट किए गए 8000 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य तक पहुंचने के बाद, अभी भी लोग ऐसे हैं, जिनके पास पीएमयूवाई योजना तक पहुंच नहीं है, इस प्रकार इसे प्रत्येक और प्रत्येक लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए, आखिरकार, इस योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में 7 और श्रेणियों (एससी/एसटी, पीएमएवाई, एएवाई, अधिकांश पिछड़ी कक्षाओं, चाय बागान, वन निवासी, द्वीप निवासी) से महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था। इस तरह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 10 अगस्त, 2021 को उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उज्ज्वला 2.0 का उद्देश्य 10 मिलियन और लाभार्थियों को कवर करना है कम आय वाले परिवारों और प्रवासी श्रमिकों को जमा–मुक्त एलपीजीएस कनेक्शन प्रदान करें, जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण में कवर नहीं किया जा गया था।

चुनौतियों पर काबू पाने के लिए किए गए उपाय

लाभार्थी पहचान का विस्तारः योग्य परिवारों को बाहर करने की चुनौती से निपटने के लिए, सरकार ने एसईसीसी डेटा को अद्यतन करने और नए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। यह चल रहा प्रयास आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की अधिक सटीक पहचान और समावेशन सुनिश्चित करता है।

मजबूत लाभार्थी पहचान प्रक्रियाः यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्य परिवारों को पीएमयूवाई के लाभों से बाहर नहीं रखा जाए, लाभार्थी पहचान प्रक्रिया को मजबूत करना आवश्यक है। इसे सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना

(एसईसीसी) डेटा के नियमित अपडेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें घरेलू आर्थिक स्थितियों में बदलावों को शामिल करना और नए पात्र परिवारों की पहचान करना शामिल है। डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे प्रौद्योगिकी–संचालित समाधानों को शामिल करने से लाभार्थी की पहचान की सटीकता और दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

गहन जागरूकता अभियानः जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान लागू किए हैं। इन अभियानों में लक्षित आबादी को पीएमयूवाई के लाभों और स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए सामुदायिक गतिशीलता, घर–घर जाकर बातचीत, सार्वजनिक घोषणाएं और जनसंचार माध्यमों का उपयोग शामिल है।

लक्षित जागरूकता अभियानः सूचना के अंतर को दूर करने और योजना में भागीदारी बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान तेज करना महत्वपूर्ण है। अभियानों को स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों के बारे में परिवारों को शिक्षित करने, दीर्घकालिक लागत बचत पर जोर देने और पीएमयूवाई लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्थानीय समुदाय के नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने से सूचना के प्रभावी प्रसार में मदद मिल सकती है और लक्षित आबादी के बीच स्वामित्व की भावना पैदा हो सकती है।

सब्सिडी और वित्तीय सहायताः एलपीजी रिफिल की सामर्थ्य में सुधार के लिए, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से सब्सिडी सहायता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्राप्त हो, जिससे रिफिल लागत का बोझ कम हो।

वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माणः पीएमयूवाई लाभार्थियों को वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने से आर्थिक लाभों के बारे में उनकी समझ बढ़ सकती है और एलपीजी के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। वित्तीय योजना, बजट और सब्सिडी राशि के प्रभावी उपयोग पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करने से लाभार्थियों को अपने एलपीजी खर्चों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सशक्त बनाया जा सकता है। एलपीजी रिफिल के लिए किफायती वित्तपोषण विकल्प प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग करना और डिजिटल भुगतान तंत्र को बढ़ावा देना भी लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम कर सकता है।

बुनियादी ढांचे का विस्तारः ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त एलपीजी बुनियादी ढांचे के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सरकार ने वितरक नेटवर्क का विस्तार और नए रिफिल केंद्रों की स्थापना की है। इन पहलों का उद्देश्य एलपीजी रिफिल की पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना है, जिससे लाभार्थियों को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सके।

अंतिम–मील डिलिवरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करनाः एलपीजी रिफिल की पहुंच और उपलब्धता की चुनौती से निपटने के लिए, अंतिम–मील वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें एलपीजी वितरकों के नेटवर्क का विस्तार करना, विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में, और लाभार्थियों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिक रीफिल केंद्र स्थापित करना शामिल है। स्थानीय अधिकारियों, परिवहन एजेंसियों और लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के साथ सहयोग से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करने और वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है, जिससे एलपीजी रिफिल की समय पर और कुशल डिलीवरी संभव हो सकेगी।

सतत निगरानी और मूल्यांकनः पीएमयूवाई की प्रगति और प्रभाव पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढांचा स्थापित करना आवश्यक है। लाभार्थी संतुष्टि सर्वेक्षण और क्षेत्र दौरे सहित योजना के कार्यान्वयन का नियमित मूल्यांकन, विभिन्न चरणों में आने वाली चुनौतियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। यह फीडबैक बाधाओं को दूर करने और योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नीतिगत संशोधनों और लक्षित हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन कर सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के साथ एकीकरणः पीएमयूवाई के साथ बायोगैस संयंत्रों और सौर कुकर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के एकीकरण के अवसरों की खोज से स्वच्छ खाना बनाने के विकल्पों की स्थिरता और सामर्थ्य को और बढ़ाया जा सकता है। स्वच्छ और ऊर्जा–कुशल खाना बनाने की प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने से लाभार्थियों के लिए उपलब्ध विकल्पों में विविधता आ सकती है, एलपीजी रिफिल पर निर्भरता कम हो सकती है और सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान हो सकता है।

अनुसंधान और नवाचारः स्वच्छ खाना बनाने के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने से अधिक कुशल और किफायती खाना बनाने की प्रौद्योगिकियों का विकास हो सकता है। शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और उद्योग के खिलाड़ियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से एलपीजी स्टोव, रिफिल तंत्र और सुरक्षा उपकरणों में नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। इससे लागत कम करने, प्रदर्शन में सुधार करने और पीएमयूवाई लाभार्थियों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सकती है।

इन रणनीतिक सिफारिशों को लागू करके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अपने प्रभाव और पहुंच को और मजबूत कर सकती है, आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित कर सकती है और बेहतर स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान दे सकती है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भारत में आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर परिवारों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरे भारत में लाखों महिलाओं को स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन प्रदान करके, इस योजना ने महिला स"ाक्तिकरण और सतत विकास एजेंडा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी की पहचान, जागरूकता और पहुंच, रिफिल की सामर्थ्य और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता जैसी चुनौतियों पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। लाभार्थी डेटा को अपडेट करने, जागरूकता अभियान चलाने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने जैसे उपायों को लागू करके, सरकार इन चुनौतियों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि पीएमयूवाई का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। योजना का दायरा बढ़ाने और स्वच्छ खाना बनाने की प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के चल रहे प्रयासों से महिलाओं और उनके परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव और बढ़ेगा।

सन्दर्भ

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार (2021). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. Retrieved from https://www.pmuy.gov.in/

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार (2017). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। Retrieved from https://www.pmuy.gov.in/faqs

प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार (2020, 8 मार्च). 2019–20 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रमुख पहल। Retrieved from https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1606805

प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार (2016, 1 मई). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलिया में शुरू की गई; महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का एक नया आयाम। Retrieved from https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=142545

विश्व बैंक (2021, 29 अप्रैल). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)। Retrieved from https://datacatalog.worldbank.org/pradhan-mantri-ujjwala-yojana-pmuy

LPG Contributing to health –Report, Dr N Buhari, MD year, 2017

LPG Profile, Dt. 1.10.17, PPAC – MOPNG

https://pmuy.gov.in/dashboard.aspx

www.hindustanpetroleum.com

www.iocl.com

www.bharatpetroleum.com

www.PMujjwalayojana.com